

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

॥ संकल्प ॥

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 3625, दिनांक 13.04.2026 के द्वारा श्रीमती सुमन कुमारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना के विरुद्ध जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय के पदस्थापन काल में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति के क्रम में अकार्यरत समितियों की संबद्धता एवं अतिरिक्त लक्ष्य का समितियों के बीच वितरण के बिन्दु पर जिला टास्क फोर्स की बैठक में अधिप्राप्ति मार्गदर्शिका के प्रावधानों का संदर्भ सही नहीं देने के कारण आरोप पत्र गठित कर विभाग को प्रेषित किया गया। तत्संबंधी आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17(3) के तहत श्रीमती सुमन कुमारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1971 दिनांक-17.04.2026 द्वारा आरोप पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर बचाव का लिखित अभिकथन पूछा गया।

उक्त के संबंध में श्रीमती सुमन कुमारी द्वारा अपना बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। बचाव का लिखित अभिकथन की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्रीमती सुमन कुमारी से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन को अस्वीकार पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती सुमन कुमारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री राम नरेश पाण्डेय, अपर निबंधक (प्रशासन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री शंभूसेन कुमार, संयुक्त निबंधक (योजना), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप-पत्र की एक-एक प्रति (साक्ष्य सहित) श्री राम नरेश पाण्डेय, अपर निबंधक (प्रशासन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी / श्री शंभूसेन कुमार, संयुक्त निबंधक (योजना), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्रीमती सुमन कुमारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कुमारी आरती)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-758/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री राम नरेश पाण्डेय, अपर निबंधक (प्रशासन), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह०/-

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री शंभूसेन कुमार, संयुक्त निबंधक (योजना), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्रीमती सुमन कुमारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।

निबंधित

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि :- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3625, दिनांक 13.04.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

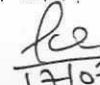
ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :.....4033...../ पटना, दिनांक :.....20/07/26.....

प्रतिलिपि :- लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।




13/07/26
विशेष कार्य पदाधिकारी।